

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड  
कुल्हान, सहस्रधारा रोड, देहरादून।

संख्या-107/प्रवर्तन/स0सु0/1-8(38)/2018  
सेवा में,

दिनांक 09 मार्च, 2018

1. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,  
लोक निर्माण विभाग,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. रीजनल ऑफिसर,  
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,  
58/37, बलबीर रोड,  
डालनवाला, देहरादून।
3. कमान्डेट,  
सीमा सड़क संगठन,  
शिवालिक परियोजना, आई0डी0पी0एल0,  
वीरभद्र, ऋषिकेश, देहरादून।
4. मुख्य अभियन्ता,  
राष्ट्रीय राजमार्ग विंग,  
लोक निर्माण विभाग,  
देहरादून।

**विषय: ब्लैक स्पॉट एवं अन्य चिन्हीत दुर्घटना संभावित स्थलों के सुधारीकरण हेतु आने वाले व्यय का विवरण उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठकों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत राज्य में अवस्थित ब्लैक स्पॉट एवं अन्य दुर्घटना संभावित स्थलों का सुधारीकरण प्राथमिकता के आधार पर कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

आप अवगत है कि वर्ष 2020 तक राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु को 50 प्रतिशत किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। उक्त लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सड़कों का सही दशा में होना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव महोदय द्वारा राज्य में अवस्थित ब्लैक स्पॉट एवं अन्य दुर्घटना संभावित स्थलों के सुधारीकरण हेतु कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी, का आंगणन उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है। अतः आपसे अनुरोध है कि आपके क्षेत्रान्तर्गत स्थित ब्लैक स्पॉट एवं अन्य दुर्घटना संभावित स्थलों के सुधारीकरण हेतु आगामी वित्तीय वर्ष 2018-19 में पर्याप्त धनराशि का बजट प्राविधान कराने का कष्ट करें और इस कार्य पर आने वाले व्यय का विवरण प्राथमिकता के आधार पर इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,



(डी0 सेन्थिल पाण्डियन)  
सचिव/परिवहन आयुक्त,  
उत्तराखण्ड।